



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 24.12.2024

विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 11 वांछित अभियुक्त व NBW में 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक- 23/24.12.2024 को-

- 01-थाना आशियाना में पंजीकृत मु0अ0सं0 424/2024 धारा 115(2)/352/78(2)/79 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त- शिवा
- 02-थाना बीकेटी में पंजीकृत मु0अ0सं0 369/2024 धारा 376/313/323/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त लकी अंसारी
- 03- थाना चिनहट में पंजीकृत मु0अ0सं0-593/24 धारा-331(4)/305ई/317(2) बीएनएस व मुठभेड़ के सम्बन्ध मे पंजीकृत मु0अ0सं0-594/2024 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्त 01-मिथुन कुमार 02-सोबिन्द कुमार 03-सन्नी दयाल 04-विपिन कुमार वर्मा
- 04- थाना कृष्णानगर में पंजीकृत मु0अ0सं0-598/2024 धारा 331(3)/305/317(2) बीएनएस 2023 से सम्बन्धित अभियुक्त 01-सूरज कुमार शर्मा 02. श्रीमती सुनैना शर्मा व मु0अ0सं0-498/24 धारा 69/89/351(2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त बासुदेव शर्मा
- 05-थाना मोहनलालगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 586/24 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त -सोनू रावत
- 06-थाना पीजीआई में पंजीकृत मु0अ0सं0-834/2024 धारा 303(2) /317(2)/317(5) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त अभिषेक तिवारी उर्फ अजय तिवारी

एवं

थाना वजीरगंज से 01 नफर वारन्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

जोन उत्तरी

थाना अलीगंज- घर में घुसकर चोरी का प्रयास-

दिनांक 23.12.2024 को थाना स्थानीय पर वादी श्री साहिल भारती निवासी-पीर,जलील दक्षिण,गोलागंज लखनऊ ने थाना स्थानीय पर सूचना दिया कि वादी की बुआ के लड़के भारती सोनकर जो कि बैंक में नौकरी करते हैं व सेक्टर सी एस अलीगंज हाइसिंग स्कीम,नवीन गल्ला मण्डी के पास लखनऊ में निवास करते हैं, उनका जून, 2024 को में बैंगलोर में हो गया, वह सपरिवार बैंगलोर चले गये। दिनांक 28.11.2024 से उक्त मकान खाली पड़ा था। दिनांक 04.12.2024 को समय करीब 03.00 बजे देर रात्रि को चेतन सोनकर के मोबाइल पर अलार्म बजा तो उन्होने ने अपने मोबाइल में अपने लखनऊ स्थित मकान के इन्सटाल कैमरे में देखा तो पाया कि 05 व्यक्ति उक्त मकान की बाउण्ड्री में प्रवेश कर रहे हैं,

इस पर उनके द्वारा कैमरे के स्पीकर पर बताया गया कि पुलिस आ रही है, इस पर उपरोक्त पांचो व्यक्ति जो मकान का ताला तोड़ चुके थे,मौके से भाग गये।

वादी द्वारा तुरन्त पुलिस को सूचना दे गयी। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर वादी के उक्त मकान में ताला लगाकर, सुरक्षा प्रदान की गयी। थाना अलीगंज पर तत्काल मु0अ0सं0 339/2024 धारा 62/305 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन व सीसीटीवी फुटेज चेक कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

